साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 38 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 8 मई 2024 से 14 मई 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जानलेवा हुई हवा, ग्रेटर नोएडा बना देश का सबसे प्रदूषित शहर

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में यह पहला मौका है जब दिल्ली में हवा जहरीली हुई है। इससे पहले 14 फरवरी 2024 को दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर %बेहद खराब% दर्ज किया गया था। इसके बाद आज फिर दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 पर पहुंच गया है।

कल के मुकाबले देखें तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में 55 अंकों का उछाल आया है। कुछ ऐसी ही स्थिति फरीदाबाद की भी है, जहां 73 अंकों की बढ़ोतरी के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 303 पर पहुंच गया है। इसी तरह देश में नोएडा (319) और ग्रेटर नोएडा (340) में भी प्रदूषण से हाल खराब हैं। आंकड़ों के मुताबिक आज फिर ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की स्थिति की सबसे ज्यादा खराब है। जहां प्रदूषण का स्तर मदिकेरी की तुलना में करीब 11 गुणा ज्यादा है। गौरतलब है कि देश में मदिकेरी की हवा सबसे ज्यादा साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 32 दर्ज किया गया है। इसी तरह देश के छोटे-बड़े 18 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर दमघोंटू है। इन शहरों में बद्दी (229), बहादुरगढ़ (264), बल्लभगढ़ (271), बांसवाड़ा (218), भरतपुर (212), भिवाड़ी (233), भिवानी (205), चरखी दादरी (212), फतेहाबाद (210), गाजियाबाद (281), गुरूग्राम (291), हनुमानगढ़ (211), काशीपुर (212), लखनऊ (205), मानेसर (298), मेरठ (244), रोहतक (212) और सिंगरौली (233) में वायु गुणवत्ता खराब है।

यूनियन कार्बाइड परिसर में लगी भीषण आग, जहरीली हवा से दहशत में आए गैस पीड़ित

भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में सोमवार छह जून 2024 की दोपहर भीषण आग लग गई। दूर तक काला धुआं दिखाई दे रहा था। इस आग ने कारखाने के आसपास रहने वालों को एक बार फिर चिंता में डाल दिया। अब तक कारखाना में मौजूद 347 टन जहरीले कचरे से भूमिगत जल के प्रदूषित होने के प्रमाण मिलते रहे हैं। इस आग के बाद एक बार फिर लोगों में यह डर बैठ गया कि यह धुआं अब क्या असर डालेगा? करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग क्यों लगी इसका पता किया जा रहा है।

जेपी नगर में रहने वाली नसरीन ने बताया कि वो नारियलखेड़ा में थीं तभी उन्हें फोन आया कि कारखाने में आग लग गई है। उन्होंने तुरंत आकर देखा तो बहुत ऊंचा धुआं उठ रहा था। कारखाने के आसपास रहने वाले लोग जमा हो गए। बहुत देर बाद फायर ब्रिगेड़ की गाड़ी आईं और आग बुझी तब तक हम बहुत डर में रहे कि कहीं यह जहरीला धुआं हमारे जिस्म में घुस गया तो क्या होगा? उन्होंने बताया कि

कारखाना पूरी तरह से खोखला हो गया है, कोई कहीं से भी घुस सकता है और सुरक्षा व्यवस्था बस नाम की है। गार्ड केवल अपनी नौकरी कर रहे हैं। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाना वही है जहां कि 1984 में गैस रिसी थी, ?जिसने हजारों लोगों की जान ली थी और लाखों लोगों को अपाहिज बनाने का काम किया था। गैस कांड के बाद से ही इस कारखाने को बंद कर दिया गया था। कोई इस कारखाने के अंदर नहीं जा सके इसके लिए यहां पर प्रशासन ने पुलिस तैनात कर रखी है। बिना इजाजत के कोई भी व्यक्ति कारखाना परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता है। पर यह सिर्फ कागजों में है। वास्तविक स्थिति यह है कि इतने लंबे समय बाद यहां की दीवारों में लोगों ने बड़े—बड़े छेद कर लिए हैं। कारखाने के अंदर कोई भी इन जगहों से प्रवेश कर जाते हैं। कारखाने में जगह—जगह बड़ी—बड़ी झाड़ियां उग आई हैं, घासफूस लगी है, इन्हें खाने के लिए जानवर भी कारखाने के अंदर पहुंच जाते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोमवार को लगी आग भी इसी कारण इतनी भयंकर हो गई है। भोपाल गैस पीड़ितों के हक में आवाज उठाने वाले भोपाल ग्रुप फॉर इंफोर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने डाउन टू अर्थ को बताया कि यूनियन कार्बाइड कारखाने में 24 घंटे सुरक्षा के इंतजाम होने के आदेश हैं, लेकिन यहां की सुरक्षा देखने वाले और यहां से सामान चुराने वालो के बीच गजब की सांठगांठ है। उन्होंने बताया कि इस कारखाने के अंदर जहरीले रसायन हैं और इस आगजनी की जांच होनी चाहिए कि यह आग कैसे लगी और इस आग की वजह से जो जहरीले रसायन निकल रहे हैं वो कौन से हैं और उनका स्थानीय गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है? उन्होंने मांग की कि इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बोला कि वो जाकर जांच करें तो उन्हें बताया कि उनका पूरा स्टाफ चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त है।

दोधारी तलवार-प्राथमिकता पर दूर हो पनडुब्बियों की कमी

मुंबई। भारत के जिन सैन्य अधिग्रहणों में बहुत अधिक देरी हुई है उनमें से एक है '30 वर्ष की पनडुब्बी निर्माण योजना' जिसे कैबिनेट ने 1999 में मंजूरी दी थी ताकि 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जा सके।

नौसेना के लंबी दूरी वाले समुद्री गश्त लगाने वाले विमानों के साथ मिलकर ये पनडुब्बियां, शत्रुओं की पनडुब्बियों को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में आजादी से घूमने से रोक देंगी।

तीस वर्षीय योजना में भारत में छह पारंपरिक डिजाइन वाली पनडुब्बियां बनाने की बात शामिल है जिन्हें फ्रांसीसी, जर्मन या स्वीडिश डिजाइन पर तैयार होना है। उसके बाद छह अन्य पनडुब्बियां पूर्वी डिजाइन पर यानी रूसी, दक्षिण कोरियाई या जापानी डिजाइन पर तैयार होनी हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों से विशेषज्ञता हासिल करने के बाद भारतीय शिपयार्ड अगली 12 पनडुब्बियों को स्वदेशी ढंग से तैयार करेगा। एक अन्य गोपनीय पहल में नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डिजाइनर परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों तथा बैलिस्टिक मिसाइल युक्त परमाणु संपन्न पनडुब्बियों का एक छोटा बेड़ा बनाएंगे। ये कई सप्ताह नहीं बल्कि महीनों तक पानी में रह सकेंगी और लंबे मिशन में काम आएंगी। भारतीय नौसेना ने इनके संचालन की क्षमता विकसित करने के लिए रूस से दो बार इन्हें लीज पर लिया है। इन्हें शत्रु पनडुब्बियों और युद्धपोतों के विरुद्ध आजमाने के बजाय भारत के नाभिकीय प्रतिरोध के तीसरे स्तर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जो जलमग्न होकर काम करेगा। इस योजना को अंतिम रूप देने के बाद भी चौथाई सदी बीत चुकी है लेकिन शुरुआती छह पनडुब्बियां भी नहीं बन सकी हैं। प्रोजेक्ट 75 आई के तहत 18 पनडुब्बियां बनाने के लिए पांच साल की अवधि बची है और यह नामुमकिन प्रतीत होता है

हमारी तट रेखा 5,600 किलोमीटर है और करीब 1,800 किलोमीटर इलाका द्वीपों का है। 23.7 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) हैं। दुनिया के व्यापार का दो तिहाई इसी समुद्री इलाके से होकर गुजरता है। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल एवं गैस तथा स्वेज नहर के मार्ग से जिंस और हाइड्रोकार्बन का आवागमन शामिल है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का व्यापार मलक्का की खाड़ी, सुंडा, लॉम्बॉक और ओम्बाई जलडमरूमध्य से गुजरता है जहां पोतों की नाकाबंदी की जा सकती है।

अगर भारत का प्रायद्वीपीय इलाका दोनों ओर उथले पानी वाला होता तो हमारी नौसेना पारंपरिक पनडुब्बियों से काम चला लेती। अरब सागर की ढाल इतनी कम गहरी है कि कराची से 40 समुद्री मील दूर सागर की तलहटी केवल 40 मीटर गहरी है। इतनी गहराई में बड़ी पनडुब्बी काम नहीं कर सकतीं। परमाणु क्षमता संपन्न 4,000 टन भारी पनडुब्बी और बड़ी पारंपरिक पनडुब्बी कराची के तट के निकट नहीं संचालित हो सकतीं। भारत की पूर्वी तट रेखा में ढाल काफी गहरा है और यह बड़ी पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहां परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियां भी संचालित हो सकती हैं जो मलक्का की खाड़ी में लंबे समय तक पानी में रह सकती हैं। परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियों को ऐसा करने में केवल खाद्य सामग्री और इंसानी सहनशक्ति की बाधा ही सामने आती है। एक परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बी विमान वाहक युद्धक समूह का हिस्सा बनने के लिए बेहतर तैयार होती है। इससे शत्रु पनडुब्बियों से बेहतर बचाव मिलता है। समुद्री क्षेत्र में भारत की आकांक्षाओं को देखते हुए हमारे बेड़े में कम से कम 3-4 ऐसी परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बियां होनी चाहिए। अधिकांश बड़ी नौसैनिक शक्तियां मसलन फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका आदि परमाणु बेड़े को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उसकी वैश्विक पहुंच है और कई प्रकार की पनडुब्बियों का संचालन महंगा है। अमेरिका पनडुब्बी तकनीक में साझेदारी नहीं करता क्योंकि यह उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता का अहम हिस्सा है।

यही वजह है कि फ्रांस और रूस केवल निर्यात के लिए पारंपरिक पनडुब्बियां बना रहे हैं जबकि उनकी नौसेनाएं परमाणु संपन्न पनडुब्बियां संचालित कर रही हैं। खरीदारों की बात करें तो जिन्हें बेहतर तकनीक वाली पनडुब्बियां चाहिए उनके लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन (एआईपी) वाली गैर परमाणु प्रपल्शन सिस्टम उपलब्ध है जो पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की सुविधा देता है। इन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर नहीं आना होता। नौसेना ने जुलाई 2021 में सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत प्रोजेक्ट-75आई के अंतर्गत छह पनडुब्बियों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। डिफेंस एक्विजिशन प्रॉपोजीशन 2020 के तहत सामरिक साझेदारी के तहत खरीद के लिए चार हथियार श्रेणियों को चिह्नित किया गया- लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां और सशस्त्र लड़ाकू वाहन या मुख्य युद्धक टैंक। चूंकि प्रोजेक्ट-75आई एक पोत निर्माण परियोजना है इसलिए पहला चरण था दो भारतीय कंपनियों का सामरिक साझेदार के रूप में चयन- मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) और लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी)। इन कंपनियों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध पेश करने को कहा गया हैऔर इन्हें किसी सूचीबद्ध ओईएम के साथ सहयोग करना होगा। पांच चुनी हुई ओईएम हैं फ्रांस का नवल ग्रुप, जर्मनी का टिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस), रूस का रोसोबोरोनएक्सपोर्ट यानी आरओई, दक्षिण कोरिया की डेवू शिपबिल्डिंग ऐंड मरीन इंजीनियरिंग (डीएसएमई) और स्पेन की नवांतिया। इन्हें कड़ी स्वदेशी शर्तों का पालन करना होगा यानी पहली पनडुब्बी के लिए 45 फीसदी स्वदेशीकरण तथा छठी यानी अंतिम के लिए 60 फीसदी। इस परियोजना की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को मिलेगा छाछ, शरबत

ठंडी हवा के लिए रहेगा कूलर, दवाइयों की भी रहेगी व्यवस्था

प्रदेश में 7 मई को होगा तीसरे चरण का मतदान, आयोग ने पूरी की तैयारी, कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। इसके लिए आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं को गर्मी में परेशान न होना पड़े, इसके लिए मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम भी किए जा रहे है। जिलों में गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर जलजीरा, आम का पना, छाछ, शरबत, पीने के लिए ठंडा पानी, शामियाना, बैठक व्यवस्था, दवाइयां सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांग, बुजुर्ग मतदाताओं को कतार में खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थायें की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि 9 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान होगा। इसमें भोपाल सहित, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा क्षेत्र शामिल है। 7 मई को तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए सोमवार यानी 6 मई को मतदान दल सभी 20 हजार 456 मतदान केंद्रों के लिए रवाना होगा। मतदान सामग्री वितरण स्थल पर पोलिंग पार्टियों में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए भी छाया, ठंडा पानी, दवाइयां, बैठक व्यवस्था सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने 7 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश के सभी 9 संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्रों पर आये मतदाताओं को गर्मी में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

क्या पर्यावरण नियमों को ताक पर रख मथुरा में अवैध रूप से चल रहे हैं ईंट भट्टे, एनजीटी ने पूछा सवाल

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने छह मई, 2024 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अध्यक्ष को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या श्रीचंद द्वारा मथुरा में अवैध ईंट भट्ठों के बारे में की गई शिकायत सही है या नहीं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) इसकी जांच करेगा कि क्या ईंट भट्टे पर्यावरण नियमों को ताक पर रख अवैध रूप से चल रहे हैं। क्या इनके पास संचालन की अनुमति है और क्या यह बंद करने के आदेशों की अनदेखी कर अब भी अवैध रूप से चल रहे हैं।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह भी पूछा है कि क्या इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में एनजीटी ने अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले तक इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त, 2024 को होनी है। गौरतलब है कि आवेदक ने मथुरा में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों को लेकर शिकायत की थी। आवेदक के वकील का कहना है कि मथुरा एनसीआर और ताज ट्रैपेजियम जोन (टीटीजेड) के बीच स्थित है, और ये ईंट भट्ठे घनी आबादी वाले इलाकों में चल रहे हैं। जो ईंधन के रूप में जैविक अपशिष्ट, सॉल्वैंट्स, तेल अवशेष, पेट कोक, प्लास्टिक रबर, चमड़ा और अन्य अपशिष्ट उत्पादों जैसे हानिकारक कचरे का उपयोग कर रहे हैं, जो क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। आवेदक के वकील ने उन ईंट भट्टों की सूची का भी उल्लेख किया है, जिन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद, प्रतिवादी के ईंट भट्टे अभी भी चल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इन ईंट भट्टों के पास आवश्यक अनुमति नहीं है और वे आवश्यक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध खनन मामले में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की है। गौरतलब है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अवैध खनन के मामले में जिम्मेवार लोगों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था। मामला राजस्थान में भरतपुर के गहनौली क्षेत्र का है। ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी रखने और तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि यह मामला अमर उजाला में 27 फरवरी 2024 को छपी अवैध खनन की एक खबर के आधार पर कोर्ट ने स्वत-संज्ञान में लिया था। यह खबर भरतपुर जिले के गहनौली इलाके में कथित अवैध खनन को लेकर थी। इस खबर के मुताबिक, गहनौली पुलिस ने अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरी छह ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कीं थी। ये ट्रॉलियां चंदौली से आ रही थीं और पिछले कुछ समय से इलाके में अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का मालिक कौन है। अचलपुर नगर परिषद की ओर से पेश वकील ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई है, जिसकी वजह से हलफनामा दाखिल करने में देरी हो रही है। अदालत ने नगर परिषद की इस अपील को स्वीकार कर लिया है और उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साइट की वर्तमान स्थिति पर ताजा रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा समय में साइट पर 23,500 मीट्रिक टन वर्षों पुराना कचरा जमा है। उन्होंने मई 2024 तक 3,500 मीट्रिक टन कचरा हटाने का आश्वासन दिया है। वहीं बाकी के लिए निजी ठेकेदारों को काम पर रखने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अचलपुर नगर परिषद ने ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए 9.16 हेक्टेयर की एक नई साइट का प्रस्ताव दिया है।

प्लास्टिक प्रदूषण का सामना

तकरीबन 175 देशों के प्रतिनिधियों के नैरोबी में एकत्रित होने और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से प्रभावी पहली संधि करने पर सहमति होने के दो वर्ष बाद भी इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि निकट भविष्य में दुनिया इस विषय पर किसी सहमति पर पहुंच सकेगी और प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर कोई संधि हो सकेगी। प्लास्टिक प्रदूषण) को लेकर अंतरसरकारी वार्ता समिति की ओटावा में चौथी बैठक हाल ही में हुई। बहरहाल, आश्चर्य नहीं कि आधी रात के बाद तक बातचीत के बावजूद प्लास्टिक उत्पादन की सीमा तय करने को लेकर कोई साझा सहमति नहीं बन सकी। अधिकांश देश जहां इस बात पर सहमत थे कि प्लास्टिक उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन के आरंभिक खनन से लेकर प्लाटिस्क कचरे के अंतिम निपटान तक इसके संपूर्ण जीवनचक्र में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता है लेकिन कुछ देशों ने कहा कि इसके उत्पादन पर कोई सीमा आरोपित करना संभव नहीं प्रतीत होता। पेट्रोकेमिकल संपन्न देशों और कई औद्योगिक समूहों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ लॉबीइंग की। इसके बजाय वे चाहते हैं कि संधि में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यह बात सभी जानते हैं कि कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करना भर प्लास्टिक संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पूरी दुनिया में हर वर्ष 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पादित होता है। दुनिया भर में अब तक उत्पन्न सात अरब टन प्लास्टिक कचरे में से 10 फीसदी से भी कम का पुनर्चक्रण हुआ है। अधिकांश प्लास्टिक कचरा समुद्रों और कचरे के ढेरों में जाता है। प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलिमर होता है जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। समस्या यहीं समाप्त नहीं होती है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। पॉलिमराइजेशन की प्रक्रिया और उत्सर्जन करती है। अमेरिका की लॉरेंस बर्कली नैशनल लैबोरेटरी के अनुमानों के मुताबिक 2019 में प्लास्टिक निर्माण के कारण 2.24 गीगाटन ऐसा प्रदूषण हुआ जो धरती का तापमान बढ़ाने वाला है। यह 600 कोयला संचालित ताप बिजली घरों के उत्सर्जन के बराबर है। चार फीसदी वार्षिक वृद्धि के अनुमान के साथ देखें तो 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन 5.13 गीगाटन हो जाएगा, भले ही तब तक हम सफलतापूर्वक पावर ग्रिड का अकार्बनीकरण कर चुके हों। इस संदर्भ में वैश्विक समझौते पर नहीं पहुंच पाना दिखाता है कि कारोबारी और आर्थिक हित संभावित पर्यावरणीय लाभों पर भारी पड़ रहे हैं। दुनिया की सात शीर्ष प्लास्टिक उत्पादन कंपनियां जीवाश्म ईंधन कंपनियां ही हैं। बीते कुछ दशकों में प्लास्टिक को लेकर एक नई चिंता सामने आई है और वह है मानव स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव। सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के अंश न केवल इंसानी खून में बल्कि गर्भनाल में भी पाए गए हैं। समुचित निपटान प्रणाली और कचरा संग्रहण तकनीक प्लास्टिक के जलवायु प्रभाव को रोकने या उन्हें मनुष्य के शरीर में पहुंचने से रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। ऐसा कचरे के प्लास्टिक बन जाने के बहुत पहले हो जाता है। ऐसे में उत्पादन कम करके ही लंबी अवधि में इस समस्या से निपटा जा सकता है। सन 2022 में भारत ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 लागू किया था जिसके तहत 19 श्रेणियों में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था हालांकि वे देश में एकल इस्तेमाल वाले कुल प्लास्टिक का केवल 11 फीसदी है। परंतु अब भी उनका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है।

जल्द शुरू होगी पर्यावरण संरक्षण की मुहिम- नर्सरियों में तैयार लाखों पौधों से होगी हरियाली, मानसून आने पर फैलेगी खुशहाली

हरियाणा जिले में प्रति वर्ष वन विभाग की ओर से लाखों पौधे लगाए व वितरित किए जाते हैं। यह कार्य हर साल मानसून की दस्तक के साथ ही एक जुलाई से शुरू हो जाता है। मानसून के आने में अभी समय है, लेकिन वन विभाग की ओर से जिले को हरा-भरा बनाने के लिए सात नर्सरियों में पौध तैयार की जा चुकी है। वन विभाग की ओर से सरकारी स्थानों, नहर, जोहड़, अरावली क्षेत्र व सड़कों के किनारे पर स्वयं पौधे लगाए जाते है। वहीं विभाग की ओर से करीब डेढ़ लाख पौधे सरकारी व प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों, पंचायत व शहर की संस्थाओं को फ्री दिए जाते है ताकि हर आदमी तक पौधे पहुंचे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सकें। इस वर्ष वन विभाग की ओर से करीब 7 लाख 52 हजार 302 पौध तैयार की जाती है।

इन प्रजातियों की पौध की गई तैयार वन विभाग की ओर से सरकारी नर्सरियों में ज्यादातर फलदार, फूलदार, छायादार व औषधीय पौधे तैयार किए जाते हैं। विभाग की ओर से नर्सरियों में आम, अर्जुन, बड़, पीपल, गुलर, शीशम, जामुन, सिब्बल, कचनार, आंवला, नीम, गुलमोहर, बरना, करसांगवान, कदम, बेलपत्र, कजलिया, कलसटोनिया, पहाड़ी पापड़ी, तिलखन, सिल्वर ओक, इमली, जरखंड़ा, दालमौठ, कडीपत्ता, अशोका, पपीता, पारस पीपल, बेरी, सुहाजना, रीठा, जाल, चंड, तुलसी, चांदनी, गुड़हल, जंगल जलेबी, सीताफल, रोंज, खैरी, उत्रनजीवा, नींबू व अमलतास सहित कई अन्य प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए है।

तैयार जिले में वन विभाग की रेवाड़ी रेंज में दिल्ली रोड जेएलएन नहर के पास व कुंड-मनेठी नर्सरी है। बावल रेंज में बावल व शहबाजपुर तथा नाहड़ रेंज में नाहड़, गुड़ियानी व बेरली सहित 7 नर्सरियां है। रेवाड़ी रेंज की दिल्ली रोड स्थित नर्सरी में 181153 छोटे व 85000 बड़े पौधे व मनेठी नर्सरी में 63470 छोटे व 75090 बड़े, नाहड नर्सरी में 46000 छोटे व 22000 बड़े, गुड़ियानी नर्सरी में 15000 छोटे व 7300 बड़े, बेरली नर्सरी में 21000 छोटे व 22345 बड़े पौधे, बावल नर्सरी में 58905 छोटे व 33575 बड़े तथा शहबाजपुर नर्सरी में 85390 छोटे व 36074 बड़े पौधे सहित कुल 7 लाख 52 हजार 302 पौधे तैयार किए गए है, जिनमें तीनों रेंज में एक लाख पौधे लोगों को फ्री बांटे जाएंगे। 50 हजार पौधे नागरिकों को फ्री बांटे जाएंगे।

जिले में वन विभाग का वन्य एरिया जिले में वन विभाग के पास पौधे लगाने के लिए करीब 4935 हेक्टेयर का एरिया है, जिसमें 4240.5 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र, 1528.20 हेक्टेयर वन व सड़कों के किनारे, 269.64 हेक्टेयर रेलवे का एरिया, 117.51 हेक्टेयर मसानी बैराज जैसे बांधों का एरिया, 1322.65 हेक्टेयर नहर के पास, 970.54 हेक्टेयर सेक्शन 4 व 5 के खोल, सीहा, मसीत व दीदौली का एरिया तथा 389.53 रिजर्व फोरेस्ट में नांधा व झाबुआ का एरिया है। सरकार की ओर से अरावली क्षेत्र की 8852 एकड़ भूमि को अरावली संरक्षित वन क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए वन विभाग की ओर से प्लानिंग की जा रही है।

पौधे लगाकर देखभाल का भी संकल्प लें रेवाड़ी रेंज के आरएफओ संदीप कुमार ने कहा कि प्रति वर्ष देखरेख के अभाव में काफी संख्या में पौधे नष्ट हो जाते है। एक जागरूक नागरिक बनकर सभी को अपने लगाए गए पौधों की देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण सरंक्षण करना प्रत्येक नागरिक की अहम जिम्मेदारी है। मानसून के आने पर नर्सरी से लाखों पौधे फ्री दिए जाते है। युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर संरक्षित करने चाहिए।

बादलों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं एरोसोल, जलवायु पर भी डालते हैं असर- शोध

मुंबई। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित शोध के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने छोटे एरोसोल कणों या इसके बड़े आकार की जांच की है। जिससे पता चला कि 25 से 30 नैनोमीटर का आकार उनके लिए बादल संघनन केंद्र में विकसित होने के लिए पर्याप्त है। शोध के हवाले शोधकर्ता ने कहा, क्योंकि एरोसोल कण पहले की तुलना में बहुत छोटे हो सकते हैं, इसलिए बादल निर्माण एरोसोल में होने वाले बदलावों के प्रति पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील होते है, खासकर उन प्राचीन क्षेत्रों में जहां समुद्री इलाके के ऊपर फैली बादलों की पतली परत (जिसे समुद्री स्ट्रेटस बादल भी कहते हैं) प्रमुख है। बादलों के अंदर पानी की अधिक मात्रा के कारण, छोटे एरोसोल सक्रिय होकर बादल की बूंदों में बदल जाते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा साल 2014 में समुद्री स्ट्रेटस बादलों की माप की गई थी। ये माप बादलों की बूंदों की मात्रा और वायुमंडल में पानी की अधिकता के बीच संबंध को उजागर करते हैं। वैश्विक उपग्रह माप की मदद से वैज्ञानिकों ने बादल की बूंदों की मात्रा की गणना की, जिससे सुपरसैचुरेशन का वैश्विक मानचित्र हासिल किया जा सकता है। सुपरसैचुरेशन या अतिसंतृप्ति को समान परिस्थितियों में घुलने वाली की मात्रा और उसकी संतुलित मात्रा के बीच के अंतर को कहा जाता है। यहां सबसे अनोखी बात यह है कि सुपरसैचुरेशन आम तौर पर पहले से लगाए गए अनुमान से अधिक होता है। क्योंकि सुपरसैचुरेशन एरोसोल के बड़े आकार को निर्धारित करता है, इसलिए छोटे कण भी क्लाउड कंडेनसेशन केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं। 60 नैनोमीटर या उससे अधिक तक बढ़ने वाले एरोसोल के बजाय, इनका 25 से 30 नैनोमीटर का आकार पर्याप्त होता है। लगभग आधे बादल हजारों अणुओं के साथ मिलकर एरोसोल कण बनाने से बनते हैं। इसमें समय लगता है, जितना अधिक समय लगता है इनके गायब होने का उतना ही अधिक खतरा होता है। वर्तमान मॉडल दिखाते हैं कि बादलों के विकास के समय, अधिकांश छोटे एरोसोल बड़े आकार तक बढ़ने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। शोध के परिणाम इस समझ को बदल देते हैं कि एरोसोल को बहुत कम बढ़ना चाहिए, जो बादलों और जलवायु के पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडलिंग के लिए महत्वपूर्ण है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008